

प्रति,

✓ येदान्त शिक्षा समीति खंडया  
अध्यक्ष श्री राजीव कुमार खरे  
पिता श्री स्व. रमेश कुमार खरे

विषय :- हरदा विकास योजना 2015 मे भूमि उपयोग की जानकारी ।


संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 3/12/2014

---//---

शासन द्वारा अनुमोदित हरदा विकास योजना 2015 के अनुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है ।

ग्राम एवं बन्दोबस्त नं.	खसरा/नजूल शीट नं.	हरदा विकास योजना 2015 मे निदिष्ट भूमि उपयोग
हरदा खास	(2/87,2/89/2,2/90,2/94)	(व्यापक तौर पर सार्वजनिक एवं अर्ध.सार्वजनिक प्रयोजन )

- 1 हरदा विकास योजना मे निहित प्रस्ताव विस्तृत सांकेतिक स्वरूप के है अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रिय योजना अथवा पुनरोक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग में भी आ सकती है ।
- 2 विकास योजना के अनुरूप उपयोग की जानकारी प्रदान करने के तात्पर्य विकास अनुज्ञा/अभिमत दिया जाना नहीं है। जिसके लिए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाइजर का) रजिस्ट्रेशन निर्वहन तथा शर्त) नियम 1998/1999 एवं अन्य संबंधित अधिनियम/नियम के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3 उक्त भूमि की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकता है ।
- 4 आवेदक द्वारा अक्स बटान प्रस्तुत नही किए जाने के कारण पूरे खसरे का उपयोग दिया जा रहा है ।
- 5 इस भूमि उपयोग संबंधी जानकारी को म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अंतर्गत भूमि व्यवहर्तन संबंधी अनापत्ति /अनुमति न समझा जावे इस संबंध में आवेदक को सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पृथक से अनुमति लेनी होगी ।
- 6 प्रस्तावीन भूमि से संबंधित अन्य नियोजन मापदंड विकास योजना के अध्याय 6 सा 15 में उल्लेखित है।
- 7 उक्त भूमि उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियां हरदा विकास योजना 2015 की सारणी बिन्दु 4 के अनुसार है ।



सहायक संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
होशंगाबाद (म.प्र.)